उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED

संख्या : 1601–गोपन(06)/पाकालि/2024–03–सा0गो0/1979, दिनांक : 30.03.2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.03.2024 को हुयी 200वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में समस्त अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं के भाग–02 में **सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी मात्र** को ही प्रतिवेदी का सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु **निम्नानुसार स्तम्भ–01 में अद्यतन प्रचलित** व्यवस्था को स्तम्भ–02 के अनुसार एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
प्रचलित व्यवस्था	**प्रतिस्थापित व्यवस्था**
1. कार्यालय ज्ञाप सं0–1431/सी0एक्स/एसईबी/79/3–सीएक्स/1979, दिनांक 04.08.1979 2. परिषदादेश सं0–1239/सी0एक्स/81, दिनांक 05.05.1981 3. परिषदादेश सं0–2812/सी0एक्स/एसईबी/82/3–सीएक्स/1979, दिनांक 11.06.1982 **के अनुसार परिषद/कारपोरेशन** सेवा के अधिकारियों की **वार्षिक गोपनीय आख्याओं** में सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने (सत्यनिष्ठा प्रमाणित/रोके जाने) सम्बन्धित निर्देश मात्र **प्रतिवेदक अधिकारी** हेतु ही जारी किये गये हैं, जिनमें प्रतिवेदक **अधिकारी** (Reporting Officer) को ही सत्यनिष्ठा प्रमाणित किये **जाने हेतु अधिकृत किया गया है।**	वार्षिक गोपनीय आख्या के भाग–02, 03 एवं 04 में **मूल्यांकनार्थ** सम्बन्धित प्रविष्टिकर्ता **अधिकारियों** (प्रतिवेदक/समीक्षक–**सहसमीक्षक एवं** अन्तिम अधिकारीगण) **को समान रूप** से प्रतिवेदी का सत्यनिष्ठा **प्रमाण–पत्र** भी निर्गत किये जाने **(सत्यनिष्ठा** प्रमाणित/रोके जाने) हेतु **अधिकृत** किया जाता है।

उपरोक्तानुसार स्तम्भ–02 में प्रतिस्थापित व्यवस्था/प्रकिया तत्काल प्रभाव से, अर्थात आदेश निर्गमन तिथि से प्रभावी होंगी। उपरोक्त के फलस्वरूप तत्संगत सेवा विनियमावलियों के प्राविधान तथा इस विषय में पूर्व निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या–1601–गोपन(06)/पाकालि/2024–03–सा0गो0/1979, तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **अध्यक्ष, उ0प्र0** पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0** पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0** पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
4. **प्रबन्ध निदेशक, केस्को,** कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल **विद्युत वितरण निगम लि0,** मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल **विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।**
5. **समस्त निदेशकगण, उ0प्र0** पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. **अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय**/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
7. **समस्त मुख्य अभियन्ता** (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर **ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।**
8. **समस्त मुख्य महाप्रबन्धक**/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन **लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।**
9. **मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. **उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन),** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन **कारपोरेशन लि0।**
12. **अपर पुलिस महानिदेशक,** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

30-03-2024

..................2/

13. **अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,** एस0एल0डी0सी0 परिसर, **विभूति** खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन **लि0**।
15. **समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/**क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. **सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक** न्यास, शक्ति भवन, **लखनऊ**।
17. **अनुसचिव (स0प्र0–लेखा),** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. **लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा),** केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, **लखनऊ**।
19. **समस्त अधिकारी,** कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. **कम्पनी सचिव,** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल **के दिनांक 28.03.2024 को सम्पन्न** 200वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
21. **अधिशासी अभियन्ता (वेब),** कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन **लि0 की वेबसाईट** www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

20-03-2024

(विवेक कुमार)
उप सचिव (गोपन)